प्रदेश में अब तक बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कार्य बलों द्वारा बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों की संख्या

वर्ष	बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों की संख्या	स्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एफ आई आर	एम सी मेहता वसूली	ऑल एवं किशोर पुनर्वास निधि	बकाया मजदूरी
2017	77	3	Rs.60,000/-	–	–
2018	51	15	Rs.260,000/-	Rs. 2,40,000/-	–
2019	99	55	Rs. 4,60,000/-	Rs. 8,40,000/-	3 बाल श्रमिक
2020	51	42	Rs. 560,000/-	Rs. 20,78623/-	4 बाल श्रमिक
2021	56	41	Rs. 4,60,000/-	Rs. 23,33,867/-	–
2022	104	86	Rs. 4,07,000/-	Rs. 25,57,006/-	5 बाल श्रमिक
	361	242	Rs.22,07,000/-	Rs.80,49,496/-	11 बाल श्रमिक

एक भी बच्चे को आपने पढ़ा दिया
तो समझो देश को सौ कदम आगे बढ़ा दिया

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग
निकट-नन्दा की चौकी, विकासनगर रोड,
पो.ओ. - चन्दनवाड़ी, देहरादून - 248007 (उत्तराखण्ड)
फोन : 9258127046 (व्हाट्सप)
Email: scpcr.uk@gmail.com | Website : www.scpcruk.org.in

scpcr.uk

बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा दें

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति एवं पुनर्वास

हमारे प्रदेश उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में, विशेषकर मैदानी जिलों और औधोगिक, पर्यटन क्षेत्रों, शहरों में सड़कों एवं चौराहों पर बच्चे एवं महिलाएं भीख मांगते हुए अमूमन दिखाई देती हैं, एवं इसके साथ साथ बच्चे कुछ दुकानों, ढाबों, आटो वर्कशाप एवं अन्य वाणिज्य केंद्रों में बाल मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 48 हजार बच्चे लापता होते हैं, इनमें से अधिकांश बच्चों को अपराध या भिक्षावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता है।

2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों का उत्तराखण्ड राज्य में क्रमशः 70183, 28098 है।

बालश्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम संबंधी विधिक प्रावधान

किशोर न्याय अधिनियम – 2015

- अधिनियम की धारा 75 में बच्चे के अधिकारों का हनन अथवा क्रूरता/हमला/प्रहार करने पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान।
- धारा 76 में बच्चे से भीख मंगवाने पर 3 साल सकी सजा।
- धारा 77 में बच्चे को मादक पदार्थ का सेवन करवाने पर 7 वर्ष की सजा।
- धरा 78 में बच्चे से मादक पदार्थो का विक्रय, फुटकर क्रय करवाने पर 7 साल सश्रम कारावास।
- बच्चों से जुड़े मामलों को विशेष किशोर पुलिस यूनिट (SJPU) ही देखेंगे।
- पुलिस बच्चे के मामले में बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के निदेशो का पालन करेंगी।

बाल श्रम निषेध अधिनियम

- 18 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम भरा कार्य नही कराया जा सकता।
- 14 वर्ष तक बच्चों को ढ़ाबा, होटल या मोटर मकैनिक के कामों के लिये नहीं रखाा जा सकता।।
- काम कर रहे बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराकर उनको स्कूल में प्रवेश कराया जाना अनिवार्य।
- कानून के अनुसार यदि बच्चा कार्यरत हो तो न्यूनतम मजदूरी लागू होगी।
- नियेक्ताओं पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तुरन्त रु. 50,000/- जुर्माना/2 साल की सजा दी जायेगी।

संरक्षण उपाय

सरकार द्वारा बाल भिक्षुक बाल श्रमिक निराश्रित तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में बाल संरक्षण सेवा जैसी योजनाएं शुरू की गई है ।

- इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के माध्यम से पुनर्वास उपाय के रूप में बच्चों को संस्थागत देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इस संस्थान के कार्यो में आयु- उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, काउंसलिंग आदि कार्यक्रम और गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इस योजना में संकट की स्थिति में बच्चों के लिये 24x7 आपातकालीन आउटरीच (हेल्पलाइन सेवा) का उपबंध भी किया गया है। पूरे भारत में यह सेवा टोल फ्री नंबर, 1098 के माध्यम से संचालित की जाती है।

बाल पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

प्रदेश में प्रत्येक जनपद में बाल श्रम उन्मूलन हेतु - बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम संख्या 17 ग (iii) के अंतर्गत निम्न सदस्यों की जिला कार्य बल (District Task Force) गठित किए गए हैं।

एनसीएलपी योजना के अन्तर्गत

- सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चों व किशोरों की पहचान।
- बच्चों को काम से हटाना और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में उनका नमांकन करना।
- विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से परिवार के आर्थिक पुनर्वास के साथ समायोजी शिक्षा, मध्याहन भोजन, व्यवासायिक प्रशिक्षण, वजीफा और स्वास्थ्य जांच प्रदान करना।
- प्रशिक्षकों, चिकित्सकों, निगरानी एजेंसियों और साथ ही खतरनाक या जो मजदूरी से किशोरावस्था वाले बच्चों को सुरक्षा दी जाएगी, जिससे भारत को बालश्रम से मुक्त बनाया जा सकेगा।
- पेंसिल पोर्टल (www.pencil.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन बालको से संबंधित शिकायत किया जा सकता है।

ऑपरेशन मुक्ति

बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु महानिदेशक (पुलिस विभाग) द्वारा समय-समय पर ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जाता रहा है, जिसमें भिक्षा नहीं शिक्षा देने का संदेश दिया गया है ।

जिसमें अभी तक 3300 लगभग बालक-बालिकाओं को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर स्कूलों में परवेश दिलाया गया है जो कि सराहनीय कदम है परंतु गरीबी के चलते इनमें से बहुत से बालक/बालिका दुबारा भिक्षावृत्ति में आ जाते हैं, एवं इनका परिवार किसी अन्य स्थान या शहर चला जाता है । इन बच्चों के पुनर्वास के लिए अति आवश्यक है कि-

- शिक्षा का पुनर्वास
- आर्थिक पुनर्वास के अंतर्गत
- बालक की बकाया मजदूरी
- एम. सी. मेहता निधि
- बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि
- परिवार का सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने की अति आवश्यकता है, ताकि बालक अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें।